Name of the HCL Unit	SL No.	Name of the SSI Unit	Total Payment Pending (Rs. between 7 to II months in l.akhs)
	9	Sri Raghuvansi Saw Mills	1.44
	10	Ramesh Saw Mills	24.53
	11	Raroana Associates	17.59
	12	Garuda Engg. Pvt Ltd.,	101.00
	13	Swati Coates Pvt. Ltd.,	99.56
	14	Rupa Steels Ltd.,	64.96
	15	German Dyes & Chemicals	3.62
	16	Daga Nylomet	5.40
	17	Shakun Polymers Ltd.,	12.87
		Total	451.23

In the above list Shakun Polymen ia the only unit located at Vadodara. The pending payments to the Units including the Unit at Vadodara could not be cleared due to the liquidity problem.

Allocation of Coal

*288. SHRI BANGARU LAXMAN:
SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the present practice of allocation of coal linkage for power projects in the country;

(b) the details of demand made by the Gujarat Electricity Board during the last three years and the allocation made against the demand on quarterly basis;

(c) whether the coal linkage allotted was sufficient; and

(d) if not, whether Government are considering to increase the quota?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) The recommendation made bv CEA for allocation of coal for. each power plant is first discussed in the Inter-Ministerial body comprising representatives of the Ministries of Power, Railways and Coal, CEA and Coal companies. This Committee, after taking into consideration the projections made by CEA based on the ground coal stock at the power house, expected generation, availability of coal in the coal companies and the transport constraints, firms up the linkage proposals for each power station. The firmed up proposals are then placed before the main Standing Linkage Committee (Short-term) for further discussions in which the representatives of power utilities are also present, and quarterly linkages for individual power houses are finalised.

(b) The details regarding quarter-wise linkage demanded by CEA and the linkages provided by SLC are given below:

(In '000 tonnes)

Quai ter		1995-96		1996-97		1997-98	
		CEA demand	Alloca-tion by SLC	CEA demand	Alloca-tion by SLC	CEA demand	Alloca-tion by SLC
I	Quarter	3690	3690	3045	2970	3405	2970
II .	Quarter	3330	3240	2970	2865	3270	3315
III	Quarter	NA	3150	3270	3030	3750	3420
IV	Quarter	3720	3345	3285	3375	3450	3525

Yes, Sir. Adequate coal supplies to power houses of Gujarat State Elec-;ity Board have been made available and there has heen perceptible improve ment in stock position in all the power houses of GEB as illustrated in the following table:—

(Fig- Qty- in '000 tonnes)

Power House	Stock as on 1.4.96			Stock as on 1.4.97		Stock as on 1.4.98
	Out	No. of days	Qty.	No. of days	Qty.	No. of days
Gujarat						
Sikka	0	0	9	3	139	64
Ukai	4	0	40	4	205	21
Gandhinagar	4	1	41	S	420	SI
Wankbori	20	1	134	8	433	24

(d) Does Not arise.

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजना

*289. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय और परामर्श करने के उपरांत अब तक कोई योजना बनाई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या रेल, संचार तथा उद्योग मंत्रालयों के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक कारगर सिद्ध होंगी, और

(घ) गुजरात के उन विकलांग व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी हैं, जिन्हें पिछले तीन वर्षो के दौरान रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा आगामी तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति क्या हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्र हैं। (नीचे देखिये)

(घ) गुजरात सरकसार से सूचना मांगी गई हैं।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं :-

(1) नि:शक्त व्यक्ति (सम्मान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक प्रावधान हैं कि उचित सरकार प्रत्येक स्थापना में तीन प्रतिशत से कम विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करेगी जिसमें से निम्नलिखित प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए पद में 1% का आरक्षण होगा :-

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि,

(ख) श्रवण विकलांगता, तथा

(ग) चलने संबंधी (लोकोमीटर) विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात।

इस कानून के लागू होने से पहले से ही समूह "ग" तथा "घ" में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के अतंर्गत समूह "क" तथा "ख" में 3% आरक्षण के विस्तार के लिए दृष्टि, श्रवण तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36035/16/91- स्थापना (एस0 सी0 टी0) दिनांक 18.2.1997 के तहत अधिसूचित किया गया हैं। रेलवे, संचार तथा उद्योग मंत्रालयों सहित सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस आरक्षण का पालन करना हैं। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालया भी इस मामले में कार्रवाई कर रहा हैं।

2. विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार पाने में सहायता देने के लिए अनन्य रूप से 50 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 39 विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी